न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर एवं अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट
दूदू जिला जयपुर, राज0
श्री राजेन्द्र सिंह शेखावत (आर0ए0एस0)

रेफरेन्स संख्या 137 / 2021

आदेश दिनांक 20.12..2021

1 राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार दूदू जिला जयपुर राज0

– प्रार्थी

बनाम

1 हनुमान पुत्र पांचू जाति रैगर निवासी हरसौली तहसील दूदू जिला जयपुर राज0

2. पुष्पेन्द्रसिंह पुत्र दानसिंह जाति राजपूत निवासी हरसौली तहसील दूदू जिला जयपुर . राज0

– अप्रार्थीगण

रेफरेन्स प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 82 भू राजस्व अधिनियम 1956

आदेश

रेफरेन्स प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 82 भू राजस्व अधिनियम एक्ट 1956 के तहत राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार दूदू जिला जयपुर राज के तहत पेश किया गया। जिसका संक्षेपसार इस प्रकार से है।

1. यह है कि ग्राम हरसौली तहसील दूदू जिला जयपुर राज0 के आराजी खसरा संख्या 1280 में खसरा संख्या 1280/3 रकबा 5 बीघा आंवटन कमेटी को सिफारिश पर भूमि का किस्म बंजड खारडा से बरानी 3 में परिवर्तन कर दिनांक 23.08.1978 पांचू पुत्र मांगू जाति रैगर निवासी हरसौली तहसील दूदू जिला जयपुर को आवटिंत की गई थी। जिसका राजस्व रिकार्ड में अंकन ग्राम हरसौली तहसील दूदू के नामान्तकरण संख्या 557 दिनांक 21.9.1978 के जरिये पांचू पुत्र मांगू जाति रैगर साकिन देह गैर खातेदार के रूप में किया गया।
2. ग्राम हरसौली तहसील दूदू के नामान्तकरण संख्या 910 दिनांक 21.05.1990 गैर खातेदार दर्ज रिकार्ड किया गया। एवं पांचू पुत्र मांगू की मृत्यु होने पर विरासतन का नामान्तकरण संख्या 851 दिनांक 27.12.1988 स्वीकार होने पर भूमि हनुमान पुत्र पांचू के नाम भूमि राजस्व रिकार्ड में दर्ज है।राजस्व रिकार्ड में खसरा संख्या 1280/3 के स्थान पर 1280/1/1 दर्ज किये गये।
3. यह है कि नवीन भू प्रबंध होने से मिलान क्षेत्रफल निम्न प्रकार है:–

अतिरिक्त जिला कलक्टर
दूदू

हाल		साविक		वर्तमान में खातेदार का विवरण
खसरा संख्या	क्षेत्रफल	खसरा संख्या	क्षेत्रफल	
1541	0.3500	1280/1/1मि0	0.35	हनुमान पुत्र पांचू जाति रैगर साकिन देह
1548	0.0100	1280/1/2 मि0	0.01	
1549	0.2000	1280/1/1 मि0	0.20	
1547	1.0500	1312 मि0 1280/1/1 मि0 1280/1/1 मि0	0.05 0.70 0.30	पुष्पेन्द्र सिंह पुत्र दानसिह हि0 1/21 जाति राजपूत साकिन देह सिवाईचक हिस्सा 2/7हनुमान पुत्र पांचू हि0 2/3 जाति रैगर सा0 देह खातेदार

4..यह है कि वर्तमान में हनुमान पुत्र पांचू रैगर की खातेदारी मे दर्ज भूमि पर मौका स्थिति निम्नानुसार है।

खसरा सं0	रकबा	भूमि का वर्गीकरण	वर्तमान मौका स्थिति
1547	1.05	गै0 मु0 सडक	खसरा संख्या 1541 मे हनुमान पुत्र पाचू को हिस्सा 2/3 दर्ज है जिस पर मौके पर सडक निर्माण है। एवं सार्वजनिक रूप से काम मे ली जा रही है।
1541	0.35	बरानी 2	सम्पूर्ण भूमि हनुमान पुत्र पांचू की खातेदारी में दर्ज हे। परन्तु मौके पर कब्जा नही है। मौके पर रामकरण, छोटूराम पुत्र श्योजीराम जाति गुर्जर का पुख्ता मकान व गै0 मु0 बाडा बना हुआ है।
1548	0.01	गै0मु0 हैण्डपम्प	सम्पूर्ण भूमि हनुमान पुत्र पांचू की खातेदारी में दर्ज है। मौके पर हैण्डपम्प लगा हुआ है। जो सार्वजनिक रूप से काम आ रहा है।
1549	0.2000	बारानी 3	सम्पूर्ण भूमि हनुमान पुत्र पांचू रेगर की खातेदारी में दर्ज है। मौके पर खडडा बना हुआ है। जिसमें पानी भरा रहता है। जिसमें मवेशी पानी पिते है। वह सार्वजनिक भवन बना हुआ है।

5. यह है कि ग्राम हरसौली में खसरा संख्या 1280 में से पांचू पुत्र मांगू जाति रैगर को आंवटित 5 बीघा भूमि पर कभी भी आंवटी पांचू पुत्र मांगू जाति रैगर का कभी कब्जा नही रहा है। बिना कब्जे के ही गलत रूप से खातेदारी अधिकार दिये गये है।

6. यह है कि उक्त आवंटित भूमि के संम्बध में न्यायालय उपखण्ड अधिकारी दूदू मे राजस्व वाद पत्र संख्या 259/2007 गलखूदेवी धर्मपत्नि श्योजीराम गुर्जर वगैरह बनाम हनुमान पुत्र पांचू वगैरह में निर्णय दिनांक 24.2.2021 के अनुसार साविक खसरा संख्या 1280/1/1 के स्थान पर खसरा संख्या1280/ के रूप में प्रतिस्थापित किया जाकर तदानुसार साविक

अतिरिक्त जिला कलक्टर
दूदू

खसरा संख्या 1280/1/1 के हाल खसरा संख्या 1541, 1547, 1548, 1549 की तरमीम [illegible] दुरुस्त किये जाने के आदेश प्रदान किये गये है। एवं आदेशित किया गया है कि तरमीम दुरुस्ती इस प्रकार किया जाना सुनिश्चित करें कि प्रतिवादीगण द्वारा प्रश्नगत आराजी पर बनाये गये मकान प्रभावित हो। उक्त आदेशों की पालना हेतु प्रकरण की जांच करने पर आवंटी पांचू पुत्र मांगू रेगर एवं उसके वारिसान हनुमान पुत्र पांचू जाति रैगर का आवंटित आराजी पर कहीं भी कब्जा नहीं पाया गया है।

7. यह कि आवंटी पांचू पुत्र मांगू कौम रैगर एवं उसके वारिसान हनुमान पुत्र पांचू कौम रैगर निवासी हरसौली का आवंटित भूमि के किसी भी हिस्से पर कब्जा नहीं है। बिना कब्जे के ही नियम विरूद्ध खातेदारी अधिकार दिये गये है। खातेदारी में दर्ज भूमि सार्वजनिक प्रयोजनार्थ उपयोग में आ रही है। भूमि खातेदारी में दर्ज होने से विवाद एवं कानूनी उलझने बढने की पूर्ण संभावना है। ऐसी स्थिति में भूमि को पुनः राजकीय भूमि दर्ज किया जाना आवश्यक है।

8. अतः रेफरेन्स प्रकरण श्रीमान की सेवा में प्रस्तुत कर निवेदन है कि आवंटन दिनांक 23.8.1978 नामा० संख्या 557, 851,910 को निरस्त फरमाकर भूमि को सिवायचक (राजकीय भूमि) दर्ज करने हेतु रेफरेन्स प्रस्तुत किया गया है।

प्रार्थना पत्र रेफरेन्स दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थीगण 1. हनुमान पुत्र पांचू जाति रैगर तथा 2. पुष्पेन्द्र सिंह पुत्र दान सिंह जाति राजपूत निवासी हरसौली तहसील दूदू जिला जयपुर को तलबी भिजवाई गयी। अप्रार्थी संख्या 1. हनुमान पुत्र पांचू जाति रैगर की ओर से अधिवक्ता रामरतन मीणा द्वारा अन्डरटेकिंग दी गयी। तथा अप्रार्थी संख्या 2. पुष्पेन्द्र सिंह पुत्र दान सिंह की बाद तलबी चस्पा प्राप्त हुई। बाद तामील सूचना के बाद भी कोई उपस्थित नहीं हुआ। अतः दिनांक 15.12.2021 को इनके विरुद्ध एकतरफा कार्यवाही अमल में लायी गयी। पैरोकार सरकार की ओर से उपस्थित नायब तहसीलदार [illegible] चन्द शर्मा की बहस सुनी गयी।

पैरोकार सरकार ने दौराने बहस रेफरेन्स में अंकित तथ्यों को दोहराते हुए प्रस्तुत रेफरेन्स को स्वीकार कर आदेश प्रदान करने का निवेदन किया। हमने रेफरेन्स के साथ प्रस्तुत संलग्न दस्तावेजों का अवलोकन किया तथा मनन करने पर इस निष्कर्ष पर पहुंचे कि प्रस्तुत रेफरेन्स तहसीलदार दूदू को स्वीकार किया जाता है। अतः आदेश दिये जाते है कि आवंटन आदेश दिनांक 23.08.1978, नामान्तकरण संख्या 557, 851, 910 को निरस्त किया जाता है। तथा उक्त भूमि को सिवायचक (राजकीय भूमि) को दर्ज की जावें।

पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो। निर्णय खुले मे सुनाया गया।

नोट :- सहवन से निर्णय आदेश मे पृष्ठ सं.-3 के पैरा सं.-5 की पंक्ति सं.-4 मे अंकित कथन " अत: आदेश दिये जाते है कि आवंटन आदेश दिनांक 23.8.1978, नामान्तकरण संख्या 557, 851, 910 को निरस्त किया जाता है। तथा उक्त भूमि को सिवायचक (राजकीय भूमि) को दर्ज की जावें " अंकित हो गया था। अत: उक्त पैराज मे से अंकित कथन को निर्णय आदेश से विलोपित किया जाता है।

(हस्ताक्षर) [illegible]

अतिरिक्त जिला कलक्टर
दूदू (जयपुर)

(हस्ताक्षर)
(राजेन्द्र सिंह [illegible])
अतिरिक्त जिला कलक्टर
अति० जिला कलक्टर
दूदू (जयपुर)
दूदू